>

Title: Need to fence the Indo-Pak Border.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): सभापति महोदय, आपने मुझे गुजरात राज्य की अति महत्वपूर्ण समस्या पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

आप जानते हैं कि गुजरात राज्य सरहदी राज्य है। इसके उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के 512 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सरहद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को विभाजित करती है। सुरक्षा की दृष्टि से यह सरहद अति संवेदनशील है। इस सरहद पर 912 से 1115 नम्बर के जो पिलर लगे हुए हैं, ठीक उनके सामने पाकिस्तान का सिंध इलाका आया हुआ है। इस क्षेत्र में दोनों देशों के लोग सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से जुड़े हैं। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ऊंट पर सवार हो कर सिर्फ 24 घंटे में आराम से अंतर्राष्ट्रीय सरहद पार कर सकता है। इसलिए वहां आतंकवादी घुसपैठ की सम्भावना काफी ज्यादा रहती है। इस 512 किलोमीटर की लम्बी सरहद पर कंटीले तार की बाड़ का निर्माण करने की योजना थी लेकिन वह योजना आज भी अधूरी पड़ी है। सिर्फ 263 किलोमीटर की सीमा पर कुछ काम हुआ है, लेकिन वह भी खराब गुणवत्ता के कारण टूट गया है और काफी सरहद खुली पड़ी है, जो हमारे लिए चिंता का विषय बना है, क्योंकि यहां से कभी भी दुश्मनों का हमला हो सकता है या घुसपैठ हो सकती है। आपके माध्यम से मेरी रक्षा मंत्रालय से मांग है कि बाकी खुली सरहद पर कंटीले तार की बाड़ लगाने का काम तुंत शुरू किया जाए। साथ ही, जो फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं, वह बिना रुके जले, इसके लिए ईओपी में बिजली उत्पादन हेतु पूरी संख्या में जेनरेटर सेट्स स्थापित किए जाएं।